21.07.2026

राज्य की ओर से श्रीमती नीना पटेल विशेष लोक अभियोजक उपस्थित।

अभियुक्त **आशीष बर्मन** अनुपस्थित।

प्रकरण अभियुक्त **आशीष बर्मन** की उपस्थिति हेतु नियत है।

अभियुक्त **आशीष बर्मन** की उपस्थिति हेतु जारी गिरफतारी वारंट तामील/अदम तामील वापस प्राप्त नहीं।

अभियुक्त की उपस्थिति हेतु अनेक बार गिरफतारी वारंट जारी किये गये हैं परंतु जारी गिरफतारी वारंटों के परिपालन में अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित नहीं किया गया है तथा जारी गिरफतारी वारंट अदम तामील वापस प्राप्त हुये हैं। प्रकरण में अभियुक्त **आशीष बर्मन** दिनांक 24.06.2025 से सतत् अनुपस्थित चल रहा है। अभियुक्त की उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा अनेक बार गिरफतारी वारंट जारी किये गये हैं, परंतु जारी वारंट अदम तामील प्राप्त हुये हैं। वारंटों पर अंकित टीप से तथा मामले की परिस्थिति से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त की निकट भविष्य में मिलने की कोई संभावना नहीं है। अतः अभियुक्त की सतत् अनुपस्थित को देखते हुए फरार घोषित किया जाता है। अभियुक्त **आशीष बर्मन** के विरूद्व स्थाई गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए।

अभियोजन की ओर से अभियुक्त की अनुपस्थिति में दंड प्रकिया संहिता की धारा 299 के अंतर्गत कोई साक्ष्य न कराना व्यक्त किया गया।

प्रकरण के मुख्य पृष्ट पर लाल रंग की स्याही से यह टीप अंकित की जायें कि अभियुक्त फरार है। अतः अभिलेख नष्ट न किया जावें।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख विहित समयावधि में अभिलेखागार में प्रेषित किया जावें।

सही/—

(श्रीमती निशा गुप्ता)
विशेष न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट एवं एससीएसटी एक्ट)/
ग्याहरवें अपर सत्र न्यायाधीश जबलपुर,
जिला—जबलपुर (म.प्र.)

NISHA GUPTA

Digitally signed by NISHA GUPTA
Date: 2026.07.21 20:04:18 +0530